न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 60/24 वाद — GCMS NO : 2024/41

पूर्व प्रकरण संख्या : 141/18

1. श्री चमनलाल पिता सव० तुलसीराम गुर्जर निवासी बलीचा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर ।
2. श्री राधेश्याम पिता स्व० तुलसीरामजी गुर्जर निवासी बलीचा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर ।
3. श्रीमती सूरज देवी पुत्री स्व० तुलसीरामजी गुर्जर पत्नी श्री जगदीशजी गुर्जर निवासी बलीचा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.......प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री कमलेश चौहान अधिवक्ता वादी
श्री कल्पित जैन राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :08.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम बलीचा तहसील गिर्वा उदयपुर में बिलानाम साबिक आराजी नम्बर 241/1 मी0 में से 10 बीघा भूमि मिसल संख्या 273 सन् 57 द्वारा वादीगण के पिता को आंवटित की गई व जरिये नामान्तरकरण संख्या 15 खोला जाकर आराजी नम्बर 241/1 घं रकबा 10 बीघा भूमि वादीगण के पिता के नाम पर राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 में खाता संख्या 72 में दर्ज की गई। वादीगण के पिता के नाम पर उक्त आराजी भूमि रकबा 10 बीघा सेटलमेन्ट होने के पूर्व यानि संवत् 2023 तक निरन्तर राजस्व जमाबन्दी में गैर खातेदारी हक से चली आ रही थी व नामान्तरकरण संख्या 328 से वादीगण के पिता को खातेदारी हक प्रदान किये गए व जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033 में वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 11:30:09 IST
Reason: SelfAttested

पिता पर गैर खातेदारी हक से खातेदारी हक स्वीकृति का इन्द्राज किया गया। उक्त साबिक आराजी भूमि के हाल नम्बर 1793 रकबा 3.4050 हैक्टर एवं 1794 रकबा 0.1550 हैक्टर बनाये जाकर दौराने सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट के अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों ने बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया जबकी वादीगण के पिता की 10 बीघा भूमि पर वादीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वारिसान हक से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। अतः निवेदन है कि वादीगण को हाल आराजी नम्बर 1793 रकबा 0.1550 हैक्टर व आराजी नम्बर 1794 रकबा 0.1550 हैक्टयर भूमि में से 10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित फरमाया जावे एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आराजी नम्बर 1793, 1794 राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है तथा उक्त आराजी नम्बर 214/घ से नहीं बनी है तथा उक्त आराजी की किस्म पहाड़ है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण की भूमि का सही अंकन किया गया है क्यों कि साबिक आराजी नम्बर 241/1 के बहुत सारे हाल आराजी नम्बर बने है तथा यह साबित नहीं होता है कि वादीगण की साबिक आराजी नम्बन 241/घ से हाल आरजी नम्बर 1793 व 1794 बना हो। हाल आराजी नम्बर का रकबा भी साबिक आराजी नम्बर के मिलान नहीं खाता है, तथा वादग्रस्त आराजी नम्बर बिलानामा होकर पैराफैरी में आते है इसलिए भी उक्त आराजी पर वादीगण खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी नहीं है। आराजी नम्बर 1793, 1794 हाल राजस्व रेकार्ड में किस्म पहाड़ होकर बिलानाम दर्ज है तथा उस पर काश्त नहीं हो रही है पड़त पड़ी हुई है एवम् आराजी नम्बर 1793, 1794 बिलानाम किस्म पहाड़ होकर पेराफेरी एरिया में है, उक्त भूमि पड़त है। इसलिए वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण द्वारा धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस राज्य सरकार को नहीं दिया गया है जिसके अभाव में वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि बिलानाम सरकार होने से कोई वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र, जवाब दावा व अन्य दस्तावेजो के आधार पर वाद के निस्तारण हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया राजस्व ग्राम बलीचा तहसील गिर्वा की बिलानाम साबिक आराजी नम्बर 241/1 मी में से 10 बीघा भूमि वादीगण के पिता को एलोट की गई व खातेदारी में दर्ज की गई ?

.....वादीगण

2. आया वादीगण के पिता पिता के खातेदारी की उक्त अराजीयात को दौराने सेटलमेन्ट बिलानाम सरकार दर्ज कर बिलानाम आराजी नम्बर 1793 व 1794 में मिला दिया गया ?

.....वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 11:30:09 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादीगण ग्राम बलीचा की हाल आराजी नम्बर 1793 रकबा 3.0450 हैक्टर व आराजी नम्बर 1794 रकबा 0.1550 हैक्टर में से 10 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ?

.....वादीगण

4. आया वादीगण को वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

.....वादीगण

5. अनुतोष ?

प्रकरण में वादी अधिक्ता द्वारा साक्ष्य में PW1 राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय तुलसीराम जी गुर्जर, PW2 जगदीश पुत्र छगनलाल जी गुर्जर, PW3 भगवानलाल पिता भंवरलाल जी गुर्जर, PW4 खेमराज पिता भंवरलाल जी गुर्जर, PW5 चमनलाल पित स्वर्गीय तुलसीराम जी गुर्जर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में नामान्तरण संख्या 15 की फोटोप्रति प्रदर्श–1, नामान्तरण संख्या 328 की फोटोप्रति प्रदर्श–2, ग्राम बलीचा की जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 की फोटोप्रति प्रदर्श–3, ग्राम बलीचा की जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 की फोटोप्रति प्रदर्श–4, ग्राम बलीचा की जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 की फोटोप्रति प्रदर्श–5, ग्राम बलीचा की जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 की फोटोप्रति प्रदर्श–6, ग्राम बलीचा की जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033 की फोटोप्रति प्रदर्श–7, ग्राम बलीचा की जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 की फोटोप्रति प्रदर्श–8, भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–9, पंजीकृत सचूना पत्र धारा 80 सी.पी.सी. की प्रति प्रदर्श–10, भारतीय डाक विभाग की रजिस्टर्ड एडी की प्राप्ति रसीद की फोटो प्रति प्रदर्श–11 व 12 है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। ब्यान् कलमबद्ध किए गए। वादी अधिवक्ता द्वारा अन्य ओर कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

वादग्रस्त आराजीयात के सम्बनध में एक और प्रकरण संख्या 284/12 इसी प्रकृति का होने से इस प्रकरण के साथ प्रकरण संख्या 284/12 को संलग्न किया गया।

प्रकरण माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी से रिमाण्ड होकर न्यायालय को प्राप्त हुई तथा माननीय न्यायालय के निदेशानुसार वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में तहसीलदार गिर्वा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार गिर्वा द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 11:30:09 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने वाद पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि साबिक आराजी नम्बर 241/1 मी0 में से 10 बीघा भूमि वादीगण के पिता को आंवटित की गई व जरिये नामान्तरकरण संख्या 15 खोला जाकर आराजी नम्बर 241/1 घ रकबा 10 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 72 में दर्ज की गई। उक्त आराजी भूमि रकबा 10 बीघा सेटलमेन्ट होने के पूर्व यानि संवत् 2023 तक निरन्तर राजस्व जमाबन्दी में गैर खातेदारी हक से चली आ रही थी व नामान्तरण संख्या 328 से वादीगण के पिता को खातेदारी हक प्रदान किये गए तत्पश्चा् जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033 में वादीगण के पिता पर गैर खातेदारी हक से खातेदारी हक स्वीकृति का इन्द्राज किया गया। वादग्रस्त साबिक आराजी भूमि के हाल नम्बर 1793 रकबा 3.4050 हैक्टर एवं 1794 रकबा 0.1550 हैक्टर बनाये जाकर दौराने सेटलमेन्ट बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया जबकी वादीगण के पिता की 10 बीघा भूमि पर वादीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वारिसान हक से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि की घोषणा कराने का अधिकारी है। दौराने बहस वादीगण की बहस प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया गया कि साबिक आराजी नम्बर 241/1 के बहुत सारे हाल आराजी नम्बर बने है तथा यह साबित नहीं होता है कि वादीगण की साबिक आराजी नम्बन 241/घ से हाल आरजी नम्बर 1793 व 1794 बना हो। हाल आराजी नम्बर का रकबा भी साबिक आराजी नम्बर के मिलान नहीं खाता है, जिससे प्रतिवादी वादीगण के विरूद्व स्थासी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो एवं प्रस्तुत बहस के आधार पर प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

1. आया राजस्व ग्राम बलीचा तहसील गिर्वा की बिलानाम साबिक आराजी नम्बर 241/1 मी में से 10 बीघा भूमि वादीगण के पिता को एलोट की गई व खातेदारी में दर्ज की गई ? ......वादी

➢ तनकी सख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादी का है। उक्त तनकी वादी के जिम्मे होने से वादी ने अपने पक्ष में नामन्तरण संख्या 328 जिसमें आराजी संख्या 241/1 घ रकबा 10 बिस्वा वादीगण के पिता तुलसीराम पिता देवा गुर्जर के नाम दर्ज हुई जो प्रदर्श– 1 व 2 है। इसी के क्रम में जमाबन्दी संवत् 2015–2018 प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत् 2019–2021 प्रदर्श–4, जमाबन्दी संवत् 2022–2025 प्रदर्श–5, 2026–2029 प्रदर्श–6, 2030 –2033 प्रदर्श–7 में आराजी नम्बर 241/1 घ रकबा 10 बिस्वा वादीगण के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। हमने प्रदर्श– 9 मिलान खसरा पत्र ग्राम बलीचा का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें पूर्व साबिक आराजी नम्बर 241 से हाल नम्बर 1793 व 1794 का होना प्रमाणित होता है। मिलान खसरे के अवलोकन से वादग्रस्त आराजीयात 241/1 मी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 11:30:09 IST
Reason: SelfAttested

या 241/1 घ के नये नम्बर 1793, 1794 बने हो यह सिद्ध नहीं होता है। तहसीलदार गिर्वा द्वारा भी दिनांक 15.12.2022 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि मिलान क्षेत्रफल के आधार पर हाल आराजी नम्बर 1793 व 1794 के साबिक आराजीन नम्बर 241 मी. है न कि 241/1 घ है। हमने राजस्व रेकार्ड का भी अध्ययन किया वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070 से 2074 ग्राम बलीचा पटवार मण्डल गोवर्द्धन विलास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोवर्द्धन विलास तहसील गिर्वा के खाता संख्या 359 में आराजी नम्बर 1793 रकबा 3.4050 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1794 रकबा 0.1550 हैक्टयर है, जिसकी किस्म पहाड़ है। वादी द्वारा अपने दावे को सिद्ध करने में क्रमानुक्रम से कोई गिरदावरी रिपोर्ट पेश नहीं की है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी का आराजी नम्बर 1793 रकबा 3.4050 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1794 रकबा 0.1550 हैक्टयर पर कोई कृषि कार्य किया हो। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि हाल आराजी नम्बर 1793, 1794 किस्म पहाड़ है, जो साबिक आराजी नम्बर 241 मी. से बने है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णयों में जिसमें नरेन्द्र कुमार बनाम हकरन और अन्य, आर.आर.टी. 2022 (1) 507 एवं धन्ना और अन्य बनाम हंगामीलाल और अन्य, 2022(1)(सु.को.) 1430, भोरया बनाम सोमोटिया व अन्य, आर.आर.टी. 2021(1)(सु.को.) 516 है, जिसमें प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः वादी द्वारा अपने दावें में साक्ष्य सबूतों ग्वाहान् से यह सिद्ध नहीं कर पाया कि हाल आराजी नम्बर 1793 व 1794 वादी को आवंटित साबिक आराजीयात 241/1 या 241/घ से बना हों अथवा हाल आराजी नम्बर 1793 व 1794 भूमि में वादी का भी हिस्सा है। इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही करने अभाव में तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया वादीगण के पिता पिता के खातेदारी की उक्त अराजीयात को दौराने सेटलमेन्ट बिलानाम सरकार दर्ज कर बिलानाम आराजी नम्बर 1793 व 1794 में मिला दिया गया ?

......वादीगण

➢ तनकी सख्या 2 को साबित कराने का दायित्व वादीगणगण है। वादी द्वारा अपने वाद में कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात जमाबन्दी संवत् 2030-2033 तक वादीगण के पिता श्री तुलसीराम पिता देवा गुर्जर के नाम दर्ज थी, किन्तु भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट वादीगण के पिता के खाते में दर्ज भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर नये आराजी नम्बर 1793 व 1794 अंकित किये गए। वादी द्वारा भू-प्रबन्ध के प्रदर्श- 9 मिलान खसरा पत्र ग्राम बलीचा पेश किया जिसके आधार पर साबिक नम्बर 241 मी. के नये नम्बर 1793,1794 बने है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मिलान खसरा का अध्ययन करने पर यह सिद्ध नहीं होता है कि 241/1 या 241/1 घ से 1793, 1794 नये नम्बर बने हो। अतः वादी यह सिद्ध नहीं कर पाया कि आया सेटलमेन्ट कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने दौराने सेटलमेन्ट उपरोक्त भूमि को वादीगणों के पिता के खाते से हटाकर वर्तमान आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 11:30:09 IST
Reason: SelfAttested

1793 व 1794 में मिलाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर दी। अतः तनकी नम्बर 2 भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया वादीगण ग्राम बलीचा की हाल आराजी नम्बर 1793 रकबा 3.0450 हैक्टर व आराजी नम्बर 1794 रकबा 0.1550 हैक्टर में से 10 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ?

....वादीगण

- उक्त तनकी को साबित कराने का दयित्व वादीगण को है। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किए गए दस्तावेजो से यह कही सिद्ध नही हुआ कि वादी के आराजी नम्बर 241/1 घ के नये आराजी नम्बर 1793 व 1794 बने है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों साबिक नम्बर, मिलान खसरा, से यह सिद्ध नहीं कर पाया कि साबिक आराजी नम्बर 241/1 या 241/1घ से हाल नम्बर 1793 व 1794 बने है। वर्तमान वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म अभी भी मगरी दर्ज है। अतः वादी तनकी नम्बर 1 व 2 यह सिद्ध नहीं कर पाए जिसके कारण तनकी नम्बर 3 भी वादी के विरूद्व तय की जाती है।

4. आया वादीगण को वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

.....वादीगण

- तनकी संख्या 4 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का होने से वादीगण अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य सबूतों एवं ग्वाहान् के माध्यम से यह सिद्ध नहीं कर पाए है कि वादग्रस्त साबिक आराजीयात से हाल नम्बर 1793 व 1794 बने है। तनकी 1 से 3 वादीगण के विरूद्व तय होने से तय तनकी भी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर किये गए उक्तविवेचन अनुसार न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा आराजी संख्या 241/1 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन वादीगण के पिता तुलसीराम पिता देवा गुर्जर के पक्ष में किया गया जिसके आराजी नम्बर 241/1घ हुए तत्पश्चात् दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा उसको बिलानाम सरकार दर्ज कर हाल आराजी नम्बर 1793 रकबा 3.4050 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1794 रकबा 0.1550 हैक्टयर में से 10 बीघा की खातेदारी अधिकारी की घोषणा चाहता है। गई। वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म अभी भी मगरी दर्ज है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पेश किए गए दस्तावेजों साक्ष्य/सबूतों से भी यह सिद्ध नहीं होता है कि कि वादी को आवंटित साबिक आराजीयात 241/1 या 241/घ से हाल आराजी नम्बर 1793 व 1794 बने है। अतः वाद में उक्त चारों तनकीयात वादी के विरूद्व सिद्ध हुई है। वादी अपने दावे को सिद्ध करने में पूर्णत असफल रहे है एवम् वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.05.28 11:30:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 11:30:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 60/19 सन 2019 अनवान (1) श्री चमनलाल पिता सव० तुलसीराम गुर्जर निवासी बलीचा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (2) श्री राधेश्याम पिता स्व० तुलसीरामजी गुर्जर निवासी बलीचा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (3) श्रीमती सूरज देवी पुत्री स्व० तुलसीरामजी गुर्जर पत्नी श्री जगदीशजी गुर्जर निवासी बलीचा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर बनाम (1) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर (2) उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री कमलेश चौहान अधिवक्ता वादी एवं श्री कल्पित जैन राजकीय अधिक्ता प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। गया। पर्चा डिक्री जारी हो।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि ....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख ....माह ....सन् .... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद ....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 11:30:09 IST
Reason: SelfAttested